

Seventeenth Loksabha

pan>

Title: The Mentally Retarded Children (Welfare) Bill, 2019

श्री रवि किशन (गोरखपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमन्दिता बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमन्दिता बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि किशन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।